



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

52-2020/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, APRIL 22, 2020 (VAISAKHA 2, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 अप्रैल, 2020

संख्या: 1/4/2020-आर-II :- हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 को आगे संशोधित करने के लिये नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श, से हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 (1973 का 24), की धारा 257 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) से (छ), उप-धारा (2), (4) तथा (7) तथा धारा 276 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, बनाने का प्रस्ताव करते हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 257 की उप-धारा (5) द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए, इसके द्वारा, प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, सहित जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायें, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 में, नियम 21 में, उप-नियम (3) का लोप कर दिया जाएगा।

एस. एन. राय,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT****Notification**

The 22nd April, 2020

No1/4/2020-R-II.— The following draft of the rules further to amend the Haryana Municipal Election Rules, 1978, which the Governor of Haryana in consultation with the State Election Commission proposes to make in exercise of the powers conferred by clauses (c) to (g) of Sub-section (1) of Section 257, Sub-sections (2), (4) and (7) of Section 257 and Section 276 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), is hereby published as required by Sub-section (5) of Section 257 of the said Act, for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of ten days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department, Chandigarh from any person in respect of the draft of the rules before the expiry of the period so specified.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Haryana Municipal Elections (Amendment) Rules, 2020.
2. In the Haryana Municipal Election Rules, 1978, in rule 21, sub-rule (3) shall be omitted.

S. N. ROY,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.